प्रेस नोट
दिनांक 16.09.2024, थाना कोतवाली नगर,
जनपद गोण्डा।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा मोटरसाइकिल चोरी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामदः-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा मु0अ0सं0- 671/24 धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0 से सम्बन्धित प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त- अंकित श्रीवास्तव पुत्र दिलीप कुमार श्रीवास्तव निवासी चंदकोटिया नासिरगंज जनपद श्रावस्ती को सर्किट हाऊस रोड़ आश्रय आवास गोण्डा के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरणः-

वादी श्री सुनील कुमार तिवारी पुत्र श्री राजाराम तिवारी निवासी मिश्रौलिया जानकीनगर, थाना कोतवाली नगर जनपद गोण्डा द्वारा थाना कोतवाली नगर पर सूचना दिये कि दिनांक 23.08.2024 को वह गाँधी पार्क के पास अपनी मोटरसाकिल सुपर स्पेलण्डर खड़ा कर टहल रहा था कि अज्ञात चोरो द्वारा मोटरसाइकिल चोरी कर लिया गया है, तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0- 671/24, धारा 303(2) बीएनएस बनाम अज्ञात के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। घटना को गंभीरता से लेते हुए पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अभियुक्त की गिरफ्तारी व चोरी गई मोटरसाइकिल बरामदगी हेतु टीमों का गठन किया गया। आज दिनांक 16.09.2024 को थाना को0नगर पुलिस टीम द्वारा प्रकाश में आये आरोपी अभियुक्त- अंकित श्रीवास्तव पुत्र दिलीप कुमार श्रीवास्तव निवासी चंदकोटिया नासिरगंज जनपद श्रावस्ती को सर्किट हाऊस रोड़ आश्रय आवास के पास से गिरफ्तार कर उनके कब्जे से चोरी की 01 अदद मोटरसाइकिल बरामद किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के विरूद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. अंकित श्रीवास्तव पुत्र दिलीप कुमार श्रीवास्तव निवासी चंदकोटिया नासिरगंज जनपद श्रावस्ती।

अनावरित अभियोग

01. मु0अ0सं0- 671/2024, धारा 303(2), 317(2) बी0एन0एस0, थाना कोतवाली नगर, जनपद- गोण्डा

बरामदगी-

01. चोरी 01 अदद मोटरसाइकिल UP43AF9935 बरामद

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 राहुल प्रकाश
02. का0 अनिल यादव
03. का0 आकाश
04. का0 बृजेश द्विवेदी

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.09.2024

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा बारावफ़ात जुलूस को सकुशल संपन्न कराने तथा शांति एवं सुरक्षा व्यवस्था के दृष्टिगत शहर क्षेत्र में लगातार भ्रमण शील रहकर लिया गया स्थिति का जायजा व ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

गोण्डा। आज दिनांक 16.09.2024 को पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा पर्याप्त पुलिस बल के साथ बारावफ़ात जुलूस के दृष्टिगत जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु शहर क्षेत्र के संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार भ्रमणशील/पैदल गस्त कर स्थिति का जायजा लिया गया तथा शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में बारावफ़ात जुलूस को सकुशल संपन्न कराने हेतु ड्यूटीरत पुलिस कर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए।

पुलिस अधीक्षक गोण्डा द्वारा जनपद में शहर क्षेत्र के विभिन्न स्थानों पर पैदल गश्त/भ्रमण कर धर्मगुरूओं, आमजन एवं राहगीरों से वार्ता कर सुरक्षा का एहसास कराया गया और आपसी भाई-चारा के साथ सौहार्दपूर्ण त्योहारों को मनाने की अपील की गयी। पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में जनपद के समस्त राजपत्रित अधिकारियों एवं प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षों द्वारा थाना क्षेत्रों में जुलूस मार्गो पर पर्याप्त पुलिस बल की ड्यूटी लगाकर बारावफ़ात जुलुस को सकुशल सम्पन्न कराया जा रहा है तथा ड्यूटी पर लगे समस्त पुलिस के अधिकारी/कर्मचारीगण को निर्देशित किया गया की ड्यूटी पर सतर्क दृष्टि रखते हुए त्योहार को शान्ति एवं सौहार्दपूर्ण वातावरण में सम्पन्न कराया जाए। यातायात व्यवस्था को सुदृढ़ बनाये जाने हेतु सम्बन्धित अधिकारीगण को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिये गये। संवेदनशील स्थानों पर पुलिस बल का समुचित व्यवस्थापन, स्थानीय अभिसूचना इकाई द्वारा नजर रखी जा रही है, सादे वस्त्रों में भी पुलिसकर्मी एवं महिला पुलिस की संयुक्त टीमों को लगाया गया है। मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों, जुलूस के मार्गो पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा एवं ड्रोन कैमरा से निगरानी रखी जा रही है। साथ ही साथ सभी से अनुरोध किया गया कि किसी भी प्रकार के आपसी सौहार्द खराब करने वाले वीडियो पोस्ट/शेयर करने से बचे, सोशल मीडिया मानिटरिंग सेन्टर की स्पेशल टीम द्वारा लगातार सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्म (ट्विटर, फेसबुक, व्हाट्सएप ग्रुप आदि) की निगरानी की जा रही है। किसी भी प्रकार के आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट/शेयर करने वालों के विरुद्ध गोंडा पुलिस द्वारा कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.09.2024 थाना नवाबगंज
जनपद गोण्डा

थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा लड़की को बहला-फुसला कर भगा ले जाने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाहीः-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री राधेश्याम राय के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी तरबगंज श्री विनय कुमार सिंह के नेतृत्व में थाना नवाबगंज पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं०-294/24, धारा 137(2), 87 बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त मुन्ना सिंह पुत्र अशोक सिंह नि0ग्राम तुक्कीपुर थाना महाराजगंज जनपद सिवान, बिहार को नगवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.08.2024 को थाना नवाबगंज क्षेत्र की रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना नवाबगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी लड़की कोचिंग सेन्टर पढने गयी थी जो वापस घर नही लौटी है। वादी की तहरीर पर थाना नवाबगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया जिसकी विवेचना उ०नि० उत्कर्ष कुमार पाण्डेय द्वारा की जा रही थी। विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर आरोपी अभियुक्त मुन्ना सिंह पुत्र अशोक सिंह नि0ग्राम तुक्कीपुर थाना महाराजगंज जनपद सिवान, बिहार को नगवा मोड़ के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। पीड़िता द्वारा 164 सीआरपीसी के तहत दिए गए बयान के उपरांत धारा 87 बीएनएस की बढोत्तरी की गयी है। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

01. मुन्ना सिंह पुत्र अशोक सिंह नि0ग्राम तुक्कीपुर थाना महाराजगंज जनपद सिवान, बिहार।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु०अ०सं०-294/24, धारा 137(2), 87 बीएनएस थाना नवाबगंज जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ०नि० उत्कर्ष कुमार पाण्डेय
02. का० अभिषेक यादव।
03. म0का0 प्रान्शी यादव

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 16.09.2024, थाना खरगूपुर
जनपद गोण्डा।

थाना खरगूपुर क्षेत्र के अन्तर्गत महिला के साथ दुराचार करने के वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में गठित थाना खरगूपुर पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 226/2024, धारा 76, 64(2)M, 351(3), 331(2) बीएनएस से सम्बन्धित वांछित अभियुक्त साहिद अली पुत्र साबिर अली निवासी ग्राम छिटनापुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर पुलिस के द्वारा ककरा बलुआ पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादिनी द्वारा थाना खरगूपुर पर सूचना दिया वह अपने घर में सो रही थी की विपक्षी साहिद अली ने जबरियन उसके साथ छेड़छाड किया गया है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खरगूपुर में मु0अ0सं0- 226/2024, धारा 76, 333 बीएनएस बनाम साहिद अली के विरूद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था। विवेचना के दौरान पीड़िता द्वारा दिये गये बयान के आधार धारा 64(2)M, 351(3), 331(2) बीएनएस की बढोत्तरी की गयी। आज दिनांक 16.09.2024 को थाना खरगूपुर की पुलिस टीम द्वारा वांछित अभियुक्त साहिद अली पुत्र साबिर अली निवासी ग्राम छिटनापुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा को थाना खरगूपुर पुलिस के द्वारा ककरा बलुआ पुल के पास से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त को मा0 न्यायालय के समक्ष पेश कराकर अग्रिम विधिक कार्यवाही की गयी।

गिरफ्तार अभियुक्त

01. साहिद अली पुत्र साबिर अली निवासी ग्राम छिटनापुर थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग-

01. मु0अ0सं0- 226/2024, धारा 76, 64(2)M, 351(3), 331(2) बीएनएस थाना खरगूपुर, जनपद गोण्डा।

गिरफ्तार कर्ता टीम-

01. उ0नि0 पंकज कुमार
02. हे0का0 राजकिशोर

मीडिया सेल, गोण्डा।